

राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद

ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डॉ. एस. रामकृष्ण शिक्षा संकलन परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन-2703284 / 2712376

E-mail ID - rajssa_as@yahoo.co.in

दिनांक 20.1.19.12018

क्रमांक- राधाधिप/जय/बै.शि./आ.वि.म.शि./18-19/ 6628

शिक्षा-निदेश

संज्ञानल छात्रावास (3 माह, 6 माह एवं 9 माह) सत्र 2018-19

राज्य में वृद्धि से परिवार आजीविका अर्जन हेतु अस्थायी रूप से अन्यत्र प्रवासन कर जाते हैं। यह अस्थायी प्रवासन सामान्यतः माह सितंबर-अक्टूबर से माह फरवरी-मार्च तक होता है। इस कारण राजकीय विद्यालयों में अद्ययनरत 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिका भी विद्यालय को छोड़कर परिवार के साथ अन्यत्र चले जाते हैं एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते हैं। राज्य में इस प्रकार के बालक-बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूर्ण करने का अवसर प्रदान करने के लिए गत वर्ष से अस्थायी प्रवासन करने वाले परिवार-बाहुल्य जिलों में संज्ञानल छात्रावास संचालित किये गये हैं। सत्र 2018-19 में संचालित किये जाने वाले संज्ञानल छात्रावास का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	जिला	3 माह	6 माह	9 माह	कुल
1	अजमेर	0	100	100	200
2	बांसवाड़ा	400	250	0	650
3	बृहन्न	0	150	100	250
4	जैसलमेर	0	200	150	350
5	जयपुर	0	100	0	100
6	सिरोही	150	100	0	250
7	उदयपुर	0	100	0	100
कुल		550	1000	350	1900

1. **नामांकितों की पहचान/पंजीकरण**:- राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक में अद्ययनरत 6 से 14 आयु वर्ग (राजकीय विद्यालय में अद्ययनरत शिक्षा से वंचित बालक/बालिका होने की स्थिति में आयु 14 वर्ष से अधिक भी हो सकती है।) के ऐसे बालक/बालिकाएँ, जिनके माता-पिता/परिवार जीविकोपार्जन हेतु अस्थायी रूप से प्रवासन करते हैं या कर गये हैं, Seasonal Hostels (साइमोन्टी छात्रावास) सुविधा का लाभ लेने हेतु पत्र भेजें।

2. **पत्र बालक/बालिकाओं की संख्या का निर्धारण**:- ग्रामीण क्षेत्र में प्रदेन प्रचारायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में नोडल अधिकारी के क्षेत्र में आने वाले विद्यालय के माध्यम से Seasonal Hostels हेतु पत्र विद्यार्थियों की संख्या की सूचना संकलित करेंगे एवं छात्रावास में रखास हेतु इन बालक-बालिकाओं के अभिभावक/संरक्षक की सहमति लेंगे। तत्पश्चात् इन बालक-बालिकाओं के परिवारों के अस्थायी प्रवासन करने संबंधी तथ्य की जाँच कर सरपंच/वार्ड प्रभारी व ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल परिसिस्ट्र-1 पत्र संचालन प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकितों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा।

सभी स्थित संवना स्थल को जांचें।

से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को अगल करवाये एवं परिषद को पत्रिकाएँ
माध्यम से Seasonal छात्रावास संचालन परामर्श करें। Seasonal छात्रावास आरम्भ दिनांक
Seasonal छात्रावास की समस्त तैयारी एवं आवश्यक व्यवस्था आदि कर एस.एम.सी. के
(d) प्रस्ताव स्वीकृति की संवना प्राप्त होने ही शामिल क्षेत्र में पीईईआ एवं शाही क्षेत्र में नोडल
समन्वयक से करवा कर संबंधित पीईईआ के माध्यम से पीईईआ/नोडल को सूचित करें।

(c) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक Seasonal छात्रावास का प्रस्ताव प्राप्त होने के
अधिकतम 7 दिवस में जांच व तदनुसार अनुमोदन कर प्रस्ताव की स्वीकृति जिला परियोजना
माध्यम से अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक को अनुमोदनाएँ प्रस्तुत करवाये।

(b) स्थान के वयन उपरान्त शामिल क्षेत्र में पीईईआ एवं शाही क्षेत्र में नोडल संस्था प्रदान किसे
Seasonal छात्रावास संचालन का प्रस्ताव परीक्षित-1 के अनुसार तैयार कर पीईईआ के
व्यक्तिगत स्थान के निकततम स्थित राजकीय विद्यालय को एस.एम.सी. के माध्यम से
अथवा विद्यालय भवन से भिन्न स्थान का Seasonal छात्रावास हेतु वयन होने पर उस
विद्यालय की एसएमसी द्वारा Seasonal छात्रावास का संचालन किया जाना है उसके द्वारा
विद्यालय की प्रशासिकाएँ द्वारा Seasonal छात्रावास का संचालन किया जाना है उसके द्वारा

किया जावेगा।

आवास स्थान के नजदीक के स्थान को Seasonal छात्रावास स्थल के रूप में चयनित
की सामंजस्य करती हुए अधिकतम विद्यार्थी संख्या वाले विद्यालय/ बहुसंख्य विद्यार्थियों के
एवं शाही क्षेत्र में नोडल द्वारा उनके क्षेत्राधिकार स्थित अन्य विद्यालय के पास विद्यार्थियों
• यदि नामावधियों की संख्या विद्यालय विशेष में 25 से कम हो तो शामिल क्षेत्र में पीईईआ
जावेगी।

• यदि अनुमोदन प्राप्त वयन उपलब्ध नहीं हो तो प्रयास से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर
पीईईआ किटाई पर भवन होने की स्वीकृति जारी करें। किटाई पर लिए गए भवन के
किटाई की व्यवस्था जन-सहयोग से या स्वीकृति अनुदान से एकत्र राशि में से की
जावेगी।

• यदि अनुमोदन प्राप्त वयन उपलब्ध नहीं हो तो प्रयास से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर
एसे भवनों में छात्रावास संचालित किसे जायेगी जो बालक/बालिकाओं की संख्या अनुसार
उपयुक्त एवं सुरक्षित, विजली, पानी एवं शौचालय की सुविधाएँ व्यवस्था वाले हों।

• यथा संभव राजकीय विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन या समाज द्वारा उपलब्ध कराये गए

शाही क्षेत्र के लिए नोडल द्वारा निर्माण कराया जावेगा -
को उपलब्धता अनुसार स्थल के वयन का निर्णय शामिल क्षेत्र के लिए पीईईआ द्वारा एवं
(a) ब: शाही Seasonal छात्रावास संचालन हेतु बालक-बालिकाओं की संख्या, सुविधा एवं स्थान

4. Seasonal छात्रावास स्थल का वयन एवं संचालन हेतु प्रस्ताव :-

संचालित करने के लिए संयोजक से स्वीकृति हेतु एक माह पूर्व पत्र प्रेषित करें।
• माह माघ के बाद माइक्रोटी छात्रावास संचालित नहीं किसे जायेगी। निहित अवधि के बाद
किसे जान वाले छात्रावासों की संख्या निर्धारित करें।
वयन प्रयास पर एवं सुरक्षित, सुविधायुक्त स्थल की उपलब्धता के अनुसार शामिल क्षेत्र में
पदेन प्रयास परामर्शक शिक्षा अधिकारी एवं शाही क्षेत्र में नोडल संस्था प्रदान संचालित

पृथक-पृथक व्यवस्था करने हेतु एक ही परिसर में छात्रावास संचालित किया जावेगा।
जावेगा। अन्यथा बालक/बालिकाओं के आवास एवं शौचालय एवं स्वनागर की
• बालिकाओं की संख्या 25 होने पर उनके लिए पृथक से छात्रावास का संचालन किया

• एक छात्रावास में अधिकतम 49 विद्यार्थी निवास कर सकें।
• न्यूनतम 25 विद्यार्थियों के समूह हेतु एक छात्रावास संचालित किया जा सकेगा।

3. Seasonal छात्रावास की संख्या का निर्धारण :-

कुल अंक		
भाषाकार	-	
BSTC/B:ED	रानी	30 अंक
	पुष्प शर्मा	5 अंक
	हिलीव शर्मा	1 अंक
	रानी शर्मा	3 अंक
भारती	60 व 60 से अधिक प्राप्ति	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्राप्ति तक	3 अंक
	60 व 60 से अधिक प्राप्ति	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्राप्ति तक	5 अंक
रानी	60 व 60 से अधिक प्राप्ति	10 अंक
	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्राप्ति तक	5 अंक
	45 से अधिक एवं 49 प्राप्ति तक	3 अंक
	60 व 60 से अधिक प्राप्ति	10 अंक

तालिका-2

उपरोक्त प्रविष्टिगत स्थानीय अर्थी में से निम्नानुसार मीटर निर्धारित कर किया जाएगा:-
 सस्था प्रधान के निर्देशन में एसेएमसी के माध्यम से एल्यूकेशन वॉलन्टीयर (EV) का चयन
 > ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) तथा शहरी क्षेत्र में वॉल
 एल्यूकेशन वॉलन्टीयर का चयन-

(A)

से किया जावे।
 कायालय, ग्राम पंचायत/नगरपालिका कार्यालय आदि में गतिविधि चलाकर व अन्य माध्यम
 सर्वे में ए.स.एम.सी. द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सांख्यिक स्थल, विद्यालय, सरकारी
 संस्था, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य, देय मानदेय, योगदान/चयन के आधार के
 > एल्यूकेशन वॉलन्टीयर व सहायक एल्यूकेशन वॉलन्टीयर के प्रभावी चयन हेतु आवश्यक
 प्रारम्भ किये जा सकें।

प्रस्ताव विचारात् के साथ प्रारम्भ कर दी जावे ताकि प्रस्ताव स्वीकृत होने ही निर्धारित
 द्वारा प्राप्त बालक-बालिकाओं की संस्था निर्धारित होने के बाद Seasonal छात्रावास
 > एल्यूकेशन वॉलन्टीयर व सहायक एल्यूकेशन वॉलन्टीयर चयन की प्रक्रिया ए.स.एम.सी.

निम्नानुसार किया जाएगा-
 • एल्यूकेशन वॉलन्टीयर एवं सहायक एल्यूकेशन वॉलन्टीयर का चयन एसेएमसी द्वारा
 चयन अनिवार्यतः किया जाएगा।

• बालक व बालिकाओं का एक ही (संयुक्त) छात्रावास होने की स्थिति में एल्यूकेशन
 वॉलन्टीयर एवं सहायक एल्यूकेशन वॉलन्टीयर में से किसी एक पर पर महिला का
 एल्यूकेशन वॉलन्टीयर होगा।

• वार्डन/एल्यूकेशन वॉलन्टीयर की सहायता हेतु प्रत्येक छात्रावास में एक सहायक
 • बालिका छात्रावास के संचालन हेतु महिला वार्डन का होना अनिवार्य है।

होगा।
 • प्रत्येक छात्रावास में एक वार्डन/एल्यूकेशन वॉलन्टीयर होगा जो बीएस्सीसी/बी.एड.
 छात्रावास का वार्डन - सदस्य

> छात्रावास स्थल के निकटस्थ विद्यालय की एसेएमसी का अध्यक्ष-सदस्य
 सचिव

> Seasonal छात्रावास स्थल के निकटस्थ विद्यालय का सस्था प्रधान-सदस्य
 > पीईईओ/गैजल-सदस्य
 > पीईईओ-संयोजक (Co-ordinator)

जावेगा। छात्रावास संचालन समिति में निम्न सदस्य होंगे-
 एसेएमसी द्वारा छात्रावास संचालन समिति के निर्देशन में छात्रावास का संचालन किया
 • Seasonal छात्रावास में रहने वाले अधिस्तस्थ विद्यार्थी जिस विद्यालय के है उसकी

5. छात्रावास संचालन हेतु सामान्य दिशा-निर्देश -

• Seasonal बाबास स्थल की एस.एम.सी. के निर्देश में Seasonal बाबास स्थल के कार्यवाही विवरण को परिशिष्ट-3 के अन्तर्गत रिपोर्ट सौंपा जाएगा। इस वेबक में सत्या प्रदान द्वारा दो मार में एक बार अत्यापक-अभिभावकों की वेबक आयोजित की जाएगी।

• Seasonal बाबास स्थल की एसएमसी के प्रणाल्यापक द्वारा Seasonal बाबास में उपस्थित बालक-बालिकाओं एवं एज्यूकेशन वॉलन्टियर की उपस्थिति प्रतिदिन प्रमाणित की जाएगी।

- एज्यूकेशन वॉलन्टियर, सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर तथा कुक का बाबास दिन दोपहर का भोजन भी Seasonal बाबास में दिया जाएगा।
- बालक-बालिकाओं की सचकाल का भोजन एवं प्रातः नारानी तथा अवकाश के बालक-बालिकाओं की दोपहर का भोजन मिड-डे-मील योजनागत मिलेगा।

• भोजन व्यवस्था

जाएगी।

- एज्यूकेशन वॉलन्टियर/टीचर का मानदंड 5500 रूपय प्रतिमाह अधिकतम होगा।
- सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर का मानदंड 4500 रूपय प्रतिमाह अधिकतम होगा।
- मानदंड का भूतगत आधार लिंडड बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा।
- 10 प्रतिशत मानदंड का भूतगत बाबास संचालन अवधि समाप्त होने पर किया

➤ मानदंड:-

एज्यूकेशन वॉलन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर को कभी भी विराम नहीं दिया जा सकता। एज्यूकेशन वॉलन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर का वयन वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित Seasonal बाबास हेतु एक निर्धारित अवधि के लिए किया जा रहा है, जो विनीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यकतानुसार संचालित किए जाएंगे।

➤ एज्यूकेशन वॉलन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर को कभी भी विराम नहीं दिया जा सकता। एज्यूकेशन वॉलन्टियर व सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर का वयन वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित Seasonal बाबास हेतु एक निर्धारित अवधि के लिए किया जा रहा है, जो विनीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यकतानुसार संचालित किए जाएंगे।

➤ एस.एम.सी. एज्यूकेशन वॉलन्टियर एवं सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर का वयन नए एक

कुल अंक	साक्षात्कार	कूल अंक
10 अंक	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	30 अंक
5 अंक	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
3 अंक	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	1 अंक
5 अंक	60 व 60 से अधिक	3 अंक
3 अंक	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	5 अंक
5 अंक	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	3 अंक
10 अंक	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक
3 अंक	45 से अधिक एवं 49 प्रतिशत तक	3 अंक
5 अंक	50 व 50 से अधिक एवं 59 प्रतिशत तक	5 अंक
10 अंक	60 व 60 से अधिक प्रतिशत	10 अंक

तालिका-3

तालिका के आधार पर शीट निर्धारित कर किया जाएगा :-

➤ स्थानीय स्नातक स्तर का सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर के रूप में वयन निर्धारित

(B) सहायक एज्यूकेशन वॉलन्टियर का वयन-

(7) * **समीक्षा एवं मॉनिटरिंग :-**
 Seasonal छात्रावास के मॉनिटरिंग एवं रिप्ले हेतु विस्तृत व्यवस्था निर्माण कार्य :-
 > ग्राम पंचायत/करवा कर पर ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारम्भिक विद्यालय अथवा (PEEO)/ शहरी क्षेत्र में गौडन की अख्यान में गौडन सामाजिक कार्य समिति की जावेगी। इस समिति में उन विद्यालयों से संबंधित एक शिक्षक विद्यालय Seasonal छात्रावास में पंजीकृत हे सदर कार्य हेतु। यह कार्य Seasonal छात्रावास के संचालन/मॉनिटरिंग एवं वार्षिक सुधार हेतु उद्देश्य हेतु।

विस्तृत पत्राग में परिवर्तन हेतु प्र उत्ती के अनुसार सारणी का निर्माण किया जावे।

समाप्ति	कार्य	प्रति: 5.30 बजे
	जागरण	5.30 से 6.00 बजे
	निवृत्त कार्य/श्रम कक्ष की सफाई	6.00 से 6.30 बजे
	खाद्य/पानी	6.30 से 8.30 बजे
	स्नान, कपड़े धोना आदि	8.30 से 9.00 बजे
	गार्डन	9.00 से 12.30 बजे
	साप्ताहिक परीक्षा	12.30 से 1.30 बजे
	शौच	1.30 से 3.00 बजे
	विद्यार्थी, टीचर डेस्क आदि	3.00 से 4.00 बजे
	शौच आवासीय कार्य करना, परिसर की सफाई करना आदि (यदि सम्भव हो)	4.00 से 4.30 बजे
	गार्डन	4.30 से 6.00 बजे
	खेल	6.00 से 6.30 बजे
	विद्यार्थी एवं साफ-सफाई	6.30 से 7.30 बजे
	शिक्षण/शौच	7.30 से 8.30 बजे
	सामाजिक शौच	8.30 से 10.00 बजे
	समाप्ति	8.30 से 10.00 बजे

तालिका-6 समग्र सारणी (रिपोर्ट एवं अन्य सांख्यिक अवकाश के हेतु)

समाप्ति	कार्य	प्रति: 5.30 बजे
	जागरण	5.30 से 6.15 बजे
	निवृत्त कार्य/श्रम कक्ष की सफाई	6.15 से 7.00 बजे
	खाद्य/पानी	7.00 से 7.30 बजे
	स्नान	7.30 से 9.00 बजे
	अवकाश/श्रम कक्ष की सफाई एवं गार्डन करना।	9.00 से 9.30 बजे
	गार्डन तथा विद्यालय परिसर	9.35 से 3.40 बजे
	विद्यालय में अख्यान	3.40 से 4.30 बजे
	खेल एवं विद्यार्थी, गार्डन एवं विद्यार्थी	4.30 से 5.30 बजे
	खेल	5.30 से 6.30 बजे
	गार्डन कार्य (Home Work) एवं साफ-सफाई	6.30 से 7.30 बजे
	खाद्य/पानी का विद्यार्थी	7.30 से 8.00 बजे
	सांख्यिक मॉनिटरिंग (अवकाश हेतु)	8.00 से 9.00 बजे
	शिक्षण/शौच	9.00 से 10.00 बजे

तालिका-5 सांख्यिक समग्र सारणी (अनुसंधान से करवाये गए कार्य)

- अपने ब्लॉक में एक आर.पी. को वैकल्पिक शिक्षण प्रगति नियंत्रण कर Seasonal छात्रावास संबंधी व्यवस्थाएँ एवं मॉनिटरिंग करना।
 - Seasonal छात्रावास के एज्यूकेशन ऑफिसियर/वार्डन की मासिक बैठक का ब्लॉक स्तर पर आयोजन एवं रिकार्ड संधारण कर रिपोर्ट लिखा स्तर पर भिजवाना।
 - ब्लॉक में संचालित Seasonal छात्रावासों का मासिक निरीक्षण एवं मासिक सत्यापन करना तथा निरीक्षण के दौरान परिलक्षित कमजोर पहलु को दूर कर व्यवस्थाओं को संशोधन व बचाने में सहायता करना।
 - परिष्कृत कार्यालय द्वारा शिक्षा विभागों के अनुसार विनीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए मासिक एवं वित्तीय लेख्य प्राप्त करना।
 - Seasonal छात्रावास हेतु किए गए व्ययों का तथा अभिगम राशि का निरिवल समयावधि में समायोजन करना एवं रिकार्ड रखना।
 - एस.टी.एम. की अवस्थिति में होने वाली ब्लॉक निष्पादक समिति की बैठकों में Seasonal छात्रावास की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर समीक्षा करवाना।
 - संज्ञानल छात्रावासों के प्रबंधन हेतु मॉनिटरिंग कमेटी की मासिक बैठक आयोजित कर रिकार्ड संधारण एवं रिपोर्ट प्रेषण।
 - किसी भी प्रकार की दुर्घटना, घटित होने पर तुरंत उच्चाधिकारियों को सूचित करना।
3. मासिक क्षेत्र में प्रभावित प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) एवं शास्त्री क्षेत्र में नोडल प्रशासिकाएँ का दायित्व:-
- अपने ग्राम प्रशासन/वार्ड के जीविकापार्जन हेतु अस्थायी पलायन करने वाले परिवारों के 6-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति (शिक्षा से जुड़े हुए एवं शिक्षा से वंचित) का रिकार्ड रखना एवं उनकी शिक्षा की मुख्यालय से जोड़ने एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक मुख्यालय में बनाये रखने हेतु अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रशासक करना एवं रिकार्ड अपडेट करना।
 - Seasonal छात्रावास हेतु प्राप्त बालक-बालिकाओं की प्राप्त संख्या के आधार पर ग्राम प्रशासन/वार्ड में Seasonal छात्रावास की अधिकतम संख्या निर्धारित करना।
 - Seasonal छात्रावास हेतु स्थान चयन करना एवं एज्यूकेशन ऑफिसियर/वार्डन एवं सहायक एज्यूकेशन ऑफिसियर/वार्डन को निवेदन करना तथा एसएमसी के माध्यम से एज्यूकेशन ऑफिसियर/वार्डन एवं सहायक एज्यूकेशन ऑफिसियर को चयन करना।
 - एसएमसी के द्वारा Seasonal छात्रावास हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर जांच के बाद स्वीकृति हेतु एडिशनल ऑफिसियर/वार्डन को लिखित परामर्श प्राप्त करना एवं सहायक को भिजवाना।
 - Seasonal छात्रावास संबंधी सहायक पूर्व तैयारी एवं व्यवस्था (यथा भोजन/अकार्बनिक/सुरक्षा/मूलभूत सुविधा) आदि सुनिश्चित करना तथा संबंधित आवश्यक समस्त रिकार्ड संधारित करना।
 - अपने क्षेत्र में Seasonal छात्रावास का सांख्यिक निरीक्षण एवं मासिक सत्यापन करना तथा इस दौरान परिलक्षित कमजोर पहलु को दूर कर व्यवस्थाओं को संशोधन व बचाने में सहायता करना।
 - एज्यूकेशन ऑफिसियर की अनुपस्थिति/बैठक आदि में ग्राम क्षेत्र की दृष्टि में Seasonal छात्रावास हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करना।
 - Seasonal छात्रावास स्थल की एस.एम.सी. की निगरानी में संस्था प्रधान द्वारा Seasonal छात्रावास की समीक्षा हेतु दिवसाधिक पी.टी.ए. बैठक का आयोजन एवं रिकार्ड संधारण करना।

क्र. सं.	जिला	3 माह आवासीय शिक्षित	6 माह आवासीय शिक्षित	9 माह आवासीय शिक्षित	कूल
1	अलवर	0	100	15.0	25.0
2	बांसवाड़ा	400	250	0	45.0
3	चुरू	0	150	15.0	30.0
4	जैसलमेर	0	200	22.5	42.5
5	नागौर	0	100	0	10.0
6	सिरोही	150	100	0	17.5
7	उदयपुर	0	100	0	10.0
		550	1000	52.5	180.0

उपरोक्त जिलों में गत वर्ष में छात्रावास संचालित हुए हैं। अतः क्रम की गई स्थायी सामग्री का उपयोग किया जाना है।

● वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलवर, बांसवाड़ा, चुरू, जैसलमेर, नागौर, सिरोही एवं उदयपुर जिलों में Seasonal छात्रावास संचालित किए जाएंगे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(9) सत्र 2018-19 हेतु लक्ष्य:-

➤ बीईईडूओ उक्त टिकट संचारण हेतु एज्युकेशन वॉलन्टियर की सहायता के लिए एक आर.पी. को नामित करे एवं Seasonal छात्रावास समर्पित पर यह समस्त टिकट मागीण क्षेत्र में पीईईडूओ एवं शहरी क्षेत्र में नोडल कार्यालय में संचालित रहेगा।

- स्टाफ उपस्थिति पंजीका
- अस्थाई/ स्थाई सामग्री रजिस्टर
- छात्र/छात्रा पोटफोलियो
- पी.टी.एम./ प्रशिक्षण आदि रिपोर्ट पंजीका
- विद्यार्थी आगमन पंजीका
- बालक/बालिका उपस्थिति पंजीका
- विद्यार्थी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना पंजीका
- आगक/जावक पंजीका
- समय विभाग चक्र
- आगनूक पंजीका
- कक्षा बुक

➤ Seasonal छात्रावास में निम्नानुसार अभिलेख संचालित करें-

(8) अभिलेख संचारण:-

- कक्षा भी प्रकाश की दृष्टिना धरित होने पर तुरन्त उच्चारणकारियों को सूचित करना।
- काव्य संपादन में वाडन के निर्देशानुसार सहायता करना।
- Seasonal छात्रावास में संचालन हेतु संबंधित सभी व्यवस्थाओं में सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर का आवश्यक सहयोग प्राप्त करना। सहायक एज्युकेशन वॉलन्टियर उपर्युक्त समस्त मामलाओं को धरित कर आवश्यक सहयोग करना।
- निर्धारित समस्त अभिलेख संचारण करना।
- ब्लॉक स्तरीय बैठकों में भाग लेना।
- कक्षा बैठक का कार्यालय संचालित करना।
- पीटीएम में बालक-बालिकाओं की उपस्थिति, शैक्षिक उपलब्धि तथा उनके रुचि पर विशेष चर्चा परीक्षण/शैक्षिक क्षेत्र में सीएचसी/पीएचसी के माध्यम से करना सुनिश्चित करना।
- Seasonal छात्रावास में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं का पाठ्यक्रम संचालित करना।
- बालक-बालिकाओं के साथ टाई विजाम छात्रावास में ही रहना।
- ताल लाने की व्यवस्था करना।
- विद्यालय समय पर विद्यार्थियों को विद्यालय में छोड़ना एवं विद्यालय समय पश्चात उन्हें छात्रावास उन्हे शैक्षिक परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना।
- छात्रावास में निवास करने वाले बालक-बालिकाओं की प्रातःकालीन व्यायाम, खेलकूद करना तथा

बजट मापन 2018-19

स्वीजनल छात्रावास

(प्रति विद्यार्थी 3 माही स्पोर्ट कॉस्ट @ 5000 तथा प्रति स्वीजनल छात्रावास 25 विद्यार्थी)

(तालिका 8)

S.No.	Items	Per Child Cost (in Rs.)	Per Center Financial Cost (in Rs.)	Remark
1	Non-Recurring Cost			
	Furniture including bedding & Equipments including kitchen Equipments	400	10000	
2	Recurring Cost			
	Subtotal (Non-Recurring Cost)	400	10000	
	Subtotal (Recurring Cost)	4600	115000	
	Grand Total	5,000	125000	
(i)	Warden/Education Volunteer	660	16500	5500 per month
(ii)	Assistant Education Volunteer	540	13500	4500 per month
(iii)	Cook	540	13500	4500 per month
(iv)	Subtotal (Recurring Cost)	4600	115000	
	Grand Total	5,000	125000	
(e)	Honorarium			
(i)	Warden/Education Volunteer	1320	33000	5500 per month
(ii)	Assistant Education Volunteer	1080	27000	4500 per month
(iii)	Cook	1080	27000	4500 per month
	Subtotal (Recurring Cost)	9200	2,30,000	
	Grand Total	10,000	2,50,000	

बजट मापन 2018-19

स्वीजनल छात्रावास

(प्रति विद्यार्थी 6 माही स्पोर्ट कॉस्ट @ 10000 तथा प्रति स्वीजनल छात्रावास 25 विद्यार्थी)

(तालिका 9)

S.No.	Items	Per Child Cost (in Rs.)	Per Center Financial Cost (in Rs.)	Remark
1	Non-Recurring Cost			
	Furniture including bedding & Equipments including kitchen Equipments	800	20000	
2	Recurring Cost			
	Subtotal (Non-Recurring Cost)	800	20000	
	Subtotal (Recurring Cost)	5400	135000	
	Grand Total	6,200	1,55,000	
(a)	Maintenance including food charges	5400	135000	Mid Day Meal will be provide under MDM Scheme
(b)	Soap, Toothpaste, Oil etc. charges	120	3000	For 6 Months
(c)	Medical care/contingencies	100	2500	For 6 Months
(d)	Miss. Expenses	100	25800	For 6 Months
(e)	Honorarium			
(i)	Warden/Education Volunteer	1320	33000	5500 per month
(ii)	Assistant Education Volunteer	1080	27000	4500 per month
(iii)	Cook	1080	27000	4500 per month
	Subtotal (Recurring Cost)	9200	2,30,000	
	Grand Total	10,000	2,50,000	

बजट प्रावधान 2018-19

श्रीजनल छात्रावास

(प्रति विद्यार्थी 9 माह प्रति यूनिट कॉस्ट @ 15000 तथा प्रति श्रीजनल छात्रावास 25 विद्यार्थी)

(तालिका 10)

S.No.	Items	Per Child Cost (in Rs.)	Per Center Financial Cost (in Rs.)	Remark
1	Non-Recurring Cost			
	Furniture including bedding & Equipments including kitchen Equipments	1200	30000	
2	Subtotal (Non-Recurring Cost)	1200	30000	
	Recurring Cost			
(a)	Maintenance including food charges	8100	202500	Mid Day Meal will be provide under MDM Scheme
(b)	Soap, Toothpaste, Oil etc.	180	4500	For 9 Months
(c)	Medical care/contingencies	150	3750	For 9Months
(d)	Miss. Expenses	150	3750	For 9 Months
(e)	Honorarium			
(i)	Warden/Education Volunteer	1980	49500	5500 per month
(ii)	Assistant Education Volunteer	1620	40500	4500 per month
(iii)	Cook	1620	40500	4500 per month
	Subtotal (Recurring Cost)	13800	345000	
	Grand Total	15000	375000	

- फील्ड 2018-19 में Seasonal छात्रावास में 3 माह हेतु बजट प्रावधान 5000/- रूपये प्रति बालक-बालिका, 6 माह हेतु बजट प्रावधान 10000/- रूपये प्रति बालक-बालिका तथा 9 माह हेतु बजट प्रावधान 15000/- रूपये प्रति बालक-बालिका, स्वीकृत किया गया है।
- Seasonal छात्रावास का संपूर्ण व्यय प्रोक्विजिट विधियों के अन्तर्गत Seasonal छात्रावास स्थल की एस्पेसिटी द्वारा किया जाएगा।
- कच की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता हेतु Seasonal छात्रावास स्थल के एस्पेसिटी अध्यक्ष, सर्वि एंव संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में पदायत प्रादेशिक शिक्षा अधिकारी (पीईईईओ)/ शहरी क्षेत्र में नोडल सचिव तथा से उत्तरदायी होंगे।

- Seasonal छात्रावास के व्यय बिलों के भुगतान से पूर्व बालक-बालिकाओं की उपस्थिति रजिस्टर की प्रामाणिक फोटो प्रति संलग्न करवाई जाकर तथा समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये परीक्षण को ध्यान में रखा जाकर अंतिम उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

- Seasonal छात्रावास में किये गये समस्त व्यय का भुगतान बैंक द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।
- असमायोजित राष्ट्रीय को बॉक/एस्पेसिटी स्तर से प्राप्त कर जिला कार्यालय के लेखा में प्रविष्टि की जावे।

- अनावर्ती भूद में उपलब्ध राष्ट्रीय अनावर्ती प्रवृत्ति को है, जिसका प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नहीं किया जाएगा। गत वर्ष में जिन जिलों में छात्रावास संचालित किये गये थे उन जिलों में गत वर्ष में स्थानीय सामग्री कच करने हेतु राष्ट्रीय उपलब्ध करवायी गई थी, उसमें से कच की

- गर्मी स्थायी सामग्री का उपयोग इस वर्ष की गतिविधि हेतु किया जावे। सामग्री के अनुपयोगी होने पर एवं अनुपलब्धता की स्थिति में आवश्यकता होने पर ही बीईईआ की स्वीकृति प्राप्त कर एएमएसी द्वारा टेन्डर प्रक्रिया अपनायी जा सकता है। इस हेतु उन्हे सामान्य विनियम एवं लेखा नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा। टेन्डर प्रक्रिया करने पर ईंधन एवं ऊष्मक का मानदेय देय नहीं होगा।
- Seasonal छात्रावास स्थान की स्थिति में जो भी स्थायी सामग्री कचरा की जावेगी, उसकी स्विकार एंजिनेरिंग में प्रविष्टि कर संचालन अवधि के प्रचालन पीईईआ/नोडल संस्था प्रधान की संमति जावेगी।
- आवश्यक रूप से की जावेगी। छात्रावास स्थान की स्थिति में जो भी स्थायी सामग्री कचरा की जावेगी, उसकी स्विकार एंजिनेरिंग में प्रविष्टि कर संचालन अवधि के प्रचालन पीईईआ/नोडल संस्था प्रधान की संमति जावेगी।
- भोजन व्यवस्था हेतु एएमएसी द्वारा टेन्डर प्रक्रिया अपनायी जा सकता है। इस हेतु उन्हे सामान्य विनियम एवं लेखा नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा। टेन्डर प्रक्रिया करने पर ईंधन एवं ऊष्मक का मानदेय देय नहीं होगा।
- Seasonal छात्रावास हेतु अभियम साइट के हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एस.एम.सी. (माइक्रोस्टी छात्रावास स्थल) स्तर पर संचालित किए जावे, जिसमें (1) अभियम साइट किस उद्देश्य के लिए दी गई है, (2) वास्तव में हुआ व्यय (3) अभियम में से हुए व्यय के समाचालन प्रचालन प्रचालन शेष साइट तथा (4) उपयोगिता प्रमाण जारी होने का उल्लेख हो। नियमावली एक अभियम के प्रचालन के प्रचालन जब तक अभियम दी गयी साइट का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर समाचालन नहीं कर दिया जाता तब तक टेन्डर अभियम साइट स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः उपर प्रक्रिया की पालना की जावे।
- Seasonal छात्रावास हेतु किए गए व्ययों का निहित समाचालन में समाचालन करवाने हेतु सम्बन्धित प्रभारि अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में प्रचालन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)) द्वारा क्षेत्र में नोडल निम्नितर होगा।
- जिला कार्यालय द्वारा अभियम साइट का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने ही साइट समाचालन कर आदेश जारी किया जावे।
- समाचालित साइट एवं असमाचालित साइट के संबंध में व्यवस्थित अभिलेख जिला एवं ब्लॉक/एसएमसी स्तर पर संचालित किये जावे।
- Seasonal छात्रावास में आवंटित मरू अनुसार निर्धारित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाए। अधिक व्यय किए जाने पर सम्बन्धित के विच्छेद नियमावली कार्टवाइड की जाकर बर्तनी की जायेगी।
- गतिविधि के संचालन हेतु साइट की और आवश्यकता होने पर पुनर्विचारा प्रस्ताव परिषद को समय रहते जावे जाए, जिसमें प्रचालन प्रक्रिया जिला विनियम के पूर्ण हो सके।
- Seasonal छात्रावास में बालक-बालिकाओं की संस्था के आधार पर आनुपातिक व्यय स्वीकृत होगा। बचत होने की स्थिति में भौतिक लेख बहारे जा सकेंगे, परन्तु इसकी अनुमति परिषद कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
- निहित अवधि के बाद जिला सक्षम स्वीकृति के माइक्रोस्टी छात्रावास नहीं चलाये जाए।
- आवश्यक प्रमाणन टोक एवं उसी विनियम वर्ष में प्रमाणन नहीं होने पर जवाबदेही अनिश्चित जिला परियोजना समन्वयक की होगी एवं अगले विनियम वर्ष में प्रमाणन करने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।
- निरीक्षण अधिकारी बालक/बालिकाओं तथा वाडन/संरक्षक शिक्षक ही उपस्थिति प्रतिक्रिया में अवलोकन करे
- वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत विनियम वर्ष में आपके जिले को आवंटित विविध गतिविधियों का आवश्यक रूप से संचालन करना है। ऐसा नहीं करने पर शेषी अधिकारी/कर्मचारी के विच्छेद नियमावली कार्टवाइड की जावेगी।


इन दिशा निर्देशों के अनुसार सीजनल छात्रावासों का संचालन किया जाएगा। दिशा निर्देशों की शर्त-

प्रतिपाल पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्न :- (परिशिष्ट 1-7)

राज्य परियोजना निर्देशक

(विभागीय स्तर/कार)



क्रमांक:- रामशिष्ट/जय/बै.शि./ 2018-19/ 6629

दिनांक:- 20/9/18

प्रतिनिधि:- निम्न की आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनाएँ प्रेषित हैं:-

1. निज सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान सरकार

जयपुर।

2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निर्देशक समूह शिक्षा अभियान, जयपुर।

3. निजी सहायक अतिरिक्त राज्य परियोजना निर्देशक समूह शिक्षा अभियान, जयपुर।

4. निचयक वित्त एवं लेखा, रामशिष्ट जयपुर।


5. उपर्युक्त (योजना) रामशिष्ट जयपुर।

6. जिला प्रभार अतिरिक्त, जिला-.....।

7. जिला / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समूह शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

8. राक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निर्देशक



जिला परिषद/नगर पंचायत,
हस्ताक्षर,

• जिला परिषद/नगर पंचायत की टिप्पणी-.....

अतिरिक्त जिला परिषद/नगर पंचायत,
हस्ताक्षर,

• जब की जाकर अनुमान सहित स्वीकृति हेतु जिला परिषद/नगर पंचायत के समक्ष प्रस्तुत।

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूची के अनुसार विद्यार्थियों की पंजीयन जांच कर ली गई है।
- हीनल छात्रावास स्थल के गम संपर्क/वार्ड प्रभारी से छात्रावास की आवश्यकता एवं प्रारंभ किये जाने की अभ्यर्था प्राप्त कर ली गई है।

1	क. नाम	1
2	विद्यार्थी	2
3	अभिभारक का नाम	3
4	अवधान विधान का नाम	4
5	श्री	5
6	कक्षा	6
7	एच.आर. गृह	7
8	परिचार के पंजीयन का स्थान	8
9	अवधि (कब से कब तक)	9
10	कारण	10

विद्यार्थी विवरण:-

1. नाम जिला :-
2. स्थान का नाम, जहाँ हीनल छात्रावास स्थापित किया जाएगा -
3. Seasonal छात्रावास स्थापित करने वाली एच.एम.सी. का नाम -

नाम/PEEO-

(अर्थात् धन की एच.एम.सी. से हीनल छात्रावास स्थापित प्रस्ताव तैयार कराकर PEEO/Nodal Officer BEEOD को एवं BEEOD द्वारा DPC को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा।)

Seasonal छात्रावास स्थापित प्रस्ताव

परिशिष्ट 1

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

2. अन्य वर्ग के विद्वानों का विवरण :-

क्र.सं.	नाम	कक्षा	वैयक्तिक कुल उपस्थिति	अध्ययन प्रगति	समस्या विवरण

1. विद्यार्थियों का निम्न विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

एवंकेशन वॉलेंटियर- अभिभावक वैयक्तिक डेटा रजिस्टर प्रथम

पृष्ठ संख्या 3

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

16. जाँच के उपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक/बालिका Seasonal छात्रावास में प्रवेश हेतु पात्र है।

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

15. इस क्षेत्र में सीजनल छात्रावास की आवश्यकता है तथा मैं उसे प्रारंभ किये जाने की अभिलाषा करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर
अभिभावक

14. मैं उपर्युक्त विवरणानुसार अपने पुत्र/पुत्री को Seasonal छात्रावास में रखने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

13. माइडेशन अवधि में बालक/बालिका के संरक्षक का नाम (m).....

हस्ताक्षर/वाइड प्रमाणी

12. सरपंच/वाइड प्रमाणी की अभिलाषा.....

हस्ताक्षर/वाइड प्रमाणी

11. अभिभावक के (a) माइडेशन की अवधि.....

तक (b) स्थान.....

10. बालक/बालिका के निवास स्थान का पता.....

कक्षा.....

9. बालक/बालिका को नामांकित करने वाले विद्यालय का नाम.....

दिनांक.....

8. वर्ग - SC/ST/OBC/Minority/Gen.....

हस्ताक्षर

7. जन्म दिनांक.....

हस्ताक्षर

6. पिता/माता का नाम.....

हस्ताक्षर

5. बालक/बालिका का नाम.....

हस्ताक्षर

4. ग्राम का नाम.....

हस्ताक्षर

3. ग्राम प्रधान/वाइड का नाम.....

हस्ताक्षर

2. वर्ग/प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/उच्च शिक्षण संस्थान का नाम.....

हस्ताक्षर

1. दिनांक.....

हस्ताक्षर

Seasonal छात्रावास प्रारंभ होने से पूर्व बालक/बालिकाओं के नामांकन वाले विद्यालय में भरा जाये।

प्रथम पृष्ठ

पृष्ठ संख्या 2

पासपोर्ट साइज का फोटो

परिशिष्ट 4

पंजीयन रजिस्टर

क्र.सं.	आवांति	पंजीयन क्रमांक	नाम	विद्यार्थी	अभिभावक/संरक्षक	मान	पता एवं सम्पर्क नं.	श्रेणी	अथानरत	छात्रावास	पं प्रवेश तिथि	पलायन के अवधि कब तक	अव्ययनरत कक्षा	विशेष विवरण
---------	--------	----------------	-----	------------	-----------------	-----	---------------------	--------	--------	-----------	----------------	---------------------	----------------	-------------

परिशिष्ट 5

बालक-बालिकाओं का आवागमन का रजिस्टर

क्र.सं.	बालक-बालिकाओं का नाम	छात्रावास	छात्रावास स्थल से जाने की तिनाक	छात्रावास	ले जाने वाले का नाम	विद्यार्थी से संबंध	ले जाने वाले के हस्ताक्षर	आने की तिथि एवं समय	हस्ताक्षर एवं/किंतिवर
---------	----------------------	-----------	---------------------------------	-----------	---------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------

परिशिष्ट 6

आगन्तुक रजिस्टर

क्र.सं.	दिनांक	आगन्तुक का नाम	आगन्तुक का पता एवं मोबाइल नं.	लिसं मिलने आये	संबंध	आने का समय	जाने का समय	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर एवं/किंतिवर
---------	--------	----------------	-------------------------------	----------------	-------	------------	-------------	-----------	-----------------------

परिशिष्ट 7

(पॉल पर) सीजन छात्रावास में नामांकित होने वाले विद्यार्थियों का विवरण

क्र. सं.	ग्राम	पं प्रवेश	हैडिंशन / वास्थान	नाम	बालक-नाम	पिता का नाम	श्रेणी	कक्षा	अव्ययनरत	विद्यलय का नाम	विद्यलय कोड	सीजन छात्रावास	संघालित करने वाली एसएमसी	सीजन छात्रावास	दिनांक	अभिभावकों का Migration स्थान	Migration अवधि कब से कब तक	Migration अवधि कारण
----------	-------	-----------	-------------------	-----	----------	-------------	--------	-------	----------	----------------	-------------	----------------	--------------------------	----------------	--------	------------------------------	----------------------------	---------------------

हस्ताक्षर PEO/नीडल संवर्धित संस्थापमान हस्ताक्षर शिक्षक/EV